

सबके लिए आवास मिशन योजना का शुभारंभ

भिलाईनगर। भारत सरकार, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 "सबके लिए आवास मिशन" 5 वर्षों के लिए प्रारंभ किया गया है। जिसमें आबादी भूमि में निवासरत हितग्राहियों का सर्वे किया जा रहा है, जिसके लिए पात्रता की शर्तें रखी गई हैं।

1. हितग्राही आबादी भूमि में 31 अगस्त 2024 के पूर्व नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में निवासरत हो।
2. हितग्राही के परिवार जैसे— पति, पत्नी एवं आश्रित बच्चे के समस्त स्रोत से वार्षिक आय अधिकतम राशि 3.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
3. पिछले 20 वर्षों में केन्द्र सरकार, राज्य शासन एवं नगरीय निकास के किसी भी आवास योजना का लाभ ना लिया हो।
4. आवश्यक दस्तावेज में हितग्राही का भूमि का पट्टा, विद्युत देयक रसीद, संपत्तिकर रसीद, समेकित कर रसीद, राशन कार्ड, मतदाता सूची, किरायानामा, निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य शासकीय दस्तावेज, वर्ष 2011 के जनगणना सूची में नाम प्रस्तुत करना होगा।

इसी योजना से संबंधित अन्य जानकारी के लिए कार्यालय जोन क्रमांक-3 का हेल्प डेस्क नंबर के प्रधानमंत्री आवास योजना शाखा में संपर्क कर सकते हैं।

